रवानें एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है। अतः द वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 8, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान ोने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास द्वितीय पटवार ल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में स्थित वादी की पैतृक, पुश्तैनी कृषि भूमि ब्रसरा नम्बर 2599 रकबा 1.5753 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3160 रकबा .7482 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3131 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3141 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3142 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, ब्रसरा नम्बर 3345/3143 रकबा 1.9425 हैक्टेयर के भू राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज ***''नाथूराम पुत्र मोहनलाल''*** के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादी के सही व वास्तविक नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि ***''रामदेव मेहरा पुत्र मोहनलाल''*** दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार रामदेव मेहरा पुत्र मोहनलाल को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(ओमप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला– ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 02/04/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)